राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, मिड–डे–मील कार्यक्रम

कमरा न. 3,4,5 मुख्य प्रशासनिक भवन,
शिक्षा संकुल, जे0एल0एन मार्ग, जयपुर–302017
सम्पर्क : 0141 – 2701694, 2701960 (टेली/फैक्स)
ई मेल–rajmdm@rediffmail.com

मध्याह्न भोजन योजना – राजस्थान
Mid day Meal Scheme - Rajasthan

क्रमांकः– एफ. 4(385)प्रा.शि./एमडीएम/खाद्यान्न(दाल)/2017–18/ 1102 जयपुर दिनांकः 20/12/2018

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा जिला समस्त

विषय :– मिड डे मील योजनान्तर्गत नेफेड से प्राप्त दालों का भुगतान कुकिंग कन्वर्जन कोस्ट मद से करने के सम्बन्ध में।

संन्दर्भ :– विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांकः–897 दिनांक 25.09.2018 एवं 993 दिनांक 31.10.2018

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा मिड डे मील योजनान्तर्गत केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत नेफेड से प्राप्त दालों के उठाव, परिवहन, वितरण, उपयोग, गुणवता जाँच एवं रख रखाव के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार नेफेड द्वारा जिलों की माग के अनुसार दालों की आपूर्ति की जा चुकी है एवं दालों का उठाव कर विद्यालय स्तर तक वितरण कार्य भी सम्पादित किया जा चुका है।

नेफेड द्वारा मूंग छिलका, उड़द छिलका, एवं चना दाल की आपूर्ति की गई है जिनकी दरें निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	दालों के नाम	दर प्रति किग्रा
1.	मूंग छिलका	67.00
2.	उड़द छिलका	59.00
3.	चना दाल	61.00

विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत विद्यालय स्तर पर ही दालों का क्रय कुकिंग कन्वर्जन मद में से किया जाता था। भारत सरकार के निर्देशानुसार केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत क्रय की गई दालों का भुगतान जिला स्तर से कुकिंग कन्वर्जन कोस्ट मद में से किया जायेगा। अतः दालों के भुगतान के सम्बन्ध में निम्न निर्देश प्रदान किये जाते है :–

"जिस विद्यालय में जितनी मात्रा में दाल का वितरण हुआ है, उस विद्यालय के लिये, नेफेड से प्राप्त दालों की कीमत के अनुसार गणना कर , कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद में से उस राशि को घटाते हुए शेष राशि का हस्तान्तरण किया जावें। कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद में से कम की गई राशि का उपयोग नेफेड को दालों के भुगतान हेतु किया जावे।"

मिड डे मील योजना के लिए प्रतिदिन का पोषाहार मेन्यु निर्धारित किया हुआ है। यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक विद्यालय में प्रतिदिन पोषहार का वितरण निर्धारित मेन्यु के अनुसार हो।

www.rajteachers.com

अति. आयुक्त (वित्त)
मिड डे मील

क्रमांकः– एफ. 4(385)प्रा.शि./एमडीएम/खाद्यान्न(दाल)/2017–18/ जयपुर दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है :–

1. समस्त जिला कलक्टर।

अति. आयुक्त (वित्त)